From-

Commissioner Kumaun Zone
Uttarakhand, Nainital

To,

Registrar Judicial,
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench at New Delhi

Letter No.2183 Number-XXVI-3 /Nainital Dated- 5 -9-2024

Subject- Regarding Original Application no 518 of 2022 Vivek Verma and Others Vs State of Uttarakhand and others.

Reference- Order dated 16-8-2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Respected Sir,

In compliance of order dated 19.7.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application no 518 of 2022 Verma andOthers Vs State of Uttarakhand and others undersigned was present before Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on 16-08-2024. Hon'ble National Green Tribunal was pleased and passed the following order on 16.08.2024-

3. We suggest that Commissioner, Kumaon shall consult Chief Conservator of Forest and concerned Divisional Forest Officer in preparation of above note.

4. Officers present today may appear virtually on the next date.

5. List this matter on 09.09.2024.

In compliance of order dated 16.08.2023 a short note regarding the necessary steps for the protection and conservation of Forest in Nainital is being annexed with this letter. It is humble request that the short note be taken on record.

Annexed- As above mentioned.

With Regards,

(Deepak Rawat) *IAS*
Commissioner Kumaun Zone
Uttarakhand, Nainital

Short Note in compliance of order dated 16-08-2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 518/2022, Vivek Verma Vs. State of Uttarakhand & Others.

1. That the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division Nainital vide order dated 05-09-2024 issued an office order regarding utilization of technology and surveillance system in Nainital Forest Division, Nainital for the protection and conservation of forest situated in Nainital. A True/typed/photocopy of office order dated 05-09-2024 is being annexed herein and marked as **Annexure No. 01**.
2. That the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division Nainital has also submitted a proposal for amendment in Uttar Pradesh Tree Protection Act-1976 to Principal Chief Conservator of Forest, Uttarakhand, Dehradun. In the draft of amendment act it is proposed that the cases under Section-4 of Uttar Pradesh Tree Protection Act-1976 may be declared as non-bailable offence. It is further submitted that the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division Nainital suggested that Section-10 and Section-15(1) should be amended as per need of time. A True/typed/photocopy of letter dated 05-09-2024 along with the draft of Amendment Act is being annexed herein and marked as **Annexure No. 02**.
3. That the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division, Nainital vide office order dated 05-09-2024 issued SOP for the quick response team constituted in Nagar Palika Range, Nainital Forest Division, Nainital. A True/typed/photocopy of Office order dated 05-09-2024 regarding SOP for quick response team is being annexed herein and marked as **Annexure No. 03**.
4. That the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division, Nainital vide letter dated 05-09-2024 directed to Range Officer Nagar Palika Range, Nainital for the plantation near Hotel Aroma wherein 08 trees were cut down by unknown person in the Nazool Land of Nainital Municipal Committee, District Nainital. A True/typed/photocopy of Office order dated 05-09-2024 is being annexed herein and marked as **Annexure No. 04**.
5. That as per report of Mr. Akash Vashisth, Amicus Curie, Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, and the direction has been issued to concerned Police Officer regarding the investigation of FIR No. 03 of 2024 registered under Section-26 of Indian Forest Act-

1927 against unknown in Police Station, Mallital, Nainital. The role of Hotel Aroma and Hotel Naini Retreat, Nainital will be examined by the police officer/investigation officer.

6. That the undersigned has also directed to District Magistrate, Nainital to include the employees of Revenue Department, Village Development Department, Municipal Committee Nainital in quick response team constituted by Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division, Nainital.

7. That the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division, Nainital vide office order No. 1795/29-3(3) dated 27-08-2024 appointed/posted a Special Employee as *Pairokar* in District and Session Court Nainital for the better prosecution of Criminal Cases regarding forest offences.A True/typed/photocopy of office order 1795/29-3(3) dated 27-08-2024 is being annexed herein and marked as **Annexure No. 05**.

8. That the undersigned has also directed to District Magistrate Nainital and other officers regarding the sale of private land in Nainital City and nearby area. The Forest Officers will verify the presence of trees in said land. The Stamp duty on the sale deed of land will increase if the trees will be found on the land and the stamp duty will be paid for the trees situated on the land mentioned in sale deed.

9. That the undersigned has directed the District Magistrate, Nainital and the Superintendent of Police, Nainital to registered the FIR against those persons who will be involved in repeated offences under Uttar Pradesh Tree Protection Act-1976. The undersigned has also directed to forest authorities to report the repeated offences in nearest police station.

10. That the Principal Chief Conservator of Forest, Uttarakhand, Dehradun vide order no. Kha-846/29-3(3) dated 08-02-2024 has already issued guidelines for the compounding of forest offences under various Acts. The department will follow the guidelines issued byPrincipal Chief Conservator of Forest, Uttarakhand, Dehradun. A True/typed/photocopy of order no. Kha-846/29-3(3) dated 08-02-2024 is being annexed herein and marked as **Annexure No. 06**.

11. That thePrincipal Chief Conservator of Forest, Uttarakhand, Dehradun vide order no. Kha-847/26-1 dated 08-02-2024 issued order regarding State Level Grievance Cell for the complaints regarding illegal felling of trees and others forest offences. There is a CM Helpline No. 1905 for the complaint of legal felling of trees or any

other problem to citizens of Uttarakhand. Hence there is a proper system of taking complaints of public in Uttarakhand. A True/typed/photocopy of order no. Kha-847/26-1 dated 08-02-2024 is being annexed herein and marked as **Annexure No. 07.**

12. That the forest department will undertake the Geo Tagging of plantation areas in Nainital. The Forest Department is already maintaining plantation records (*Journals*) of plantation areas wherein the location, vegetation, no. of planted trees and GPS location of plantation is already on records. It is further submitted that the KML file of plantation areas will be maintained in the forest division for better management of plantation in future.
13. That the forest department is also conducting various workshops, training programs, seminars, and public awareness programs for protections and conservation of forest, wildlife and bio diversity of the state. In future more programs will be organized in Schools, Universities and village level for public awareness.
14. That the undersigned has issued order regarding the identification of blank areas in Section-8 of Uttar Pradesh Tree Protection Act-1976. The Revenue department and Forest Department will take necessary steps to identify those private lands which have blank areas and suitable for plantation as per preamble of Uttar Pradesh Tree Protection Act-1976. The plantation will be done after taking the concerns of the land owners.
15. The forest department and revenue department will ensure the protection of tree which is situated in a private land mentioned in the agricultural land. Before the change of land use under section 143 of Zamindari Abolition and Land Management Act-1950, the Joint Inspection report of the Revenue and forest department in the Nainital municipal area will be considered.

Annexure- As mentioned above.

(Deepak Rawat) *IAS*
Commissioner Kumaun Zone
Uttarakhand, Nainital

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

Telefax.05942-236790
E-mail:dfonainital@gmail.com

पत्रांकः– 1978 / 29–3(3) दिनांक 5/9 /2024

कार्यालय आदेश

इस वन प्रभाग अन्तर्गत विभिन्न वन क्षेत्रों के आरक्षित वनों, वन पंचायतों एवं आरक्षित वनों से वाहर निजी भूमि पर घटित वन अपराधों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि सूचना–तंत्र एवं आधुनिक तकनिकी का भी उपयोग किया जाय। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 28.11.2023 को भी निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में निम्न प्रकार निर्देशित किया जाता है –

1. समस्त वन क्षेत्राधिकारी अपने वाहन में वायर लैस सिस्टम अनिवार्य रूप से संधारित रखेंगें एवं अपने अधीनस्थ वन कार्मिकों से वायर लैस के माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान करेगें।

2. समस्त वन क्षेत्राधिकारी जी0पी0एस0 सिस्टम का उपयोग घटना स्थल के चिन्हिकरण, विवेचना में घटना स्थल के मानचित्र बनाने एवं घटना स्थल की के0एम0एल0 फाइल बनाने हेतु भी निरन्तर रूप से करेगें। जिन कार्मिकों को जी0पी0एस0 के उपयोग की समुचित जानकारी नहीं है उन्हें विधिवत प्रशिक्षण रेंज स्तर पर/प्रभाग स्तर पर देने हेतु कार्यवाही भी की जायेगी।

3. समस्त वन क्षेत्राधिकारी प्रतिदिन अपने अधीनस्थ कार्मिकों से उनके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत होने वाले वन अपराधों की जानकारी प्राप्त करेंगें तथा इसे संकलित करते हुए प्रभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

4. नैना पीक रिपिटर सैन्टर द्वारा नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के समस्त वन क्षेत्रों के अन्तर्गत होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में वायरलैस से दैनिक सूचनाएं प्राप्त की जायेंगी एवं संकलित सूचनाओं को प्रतिदिन प्रभाग के शिविर अनुभाग प्रभारी को उपलब्ध कराई जायेंगी।

5. वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक वन उपज जाँच चौकी पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की कार्यवाही भी की जायेगी एवं सी0सी0टी0वी0 फुटेज की मॉनेटरिंग नियमित रूप से करने हेतु एक कार्मिक को विशेष दायित्व दिया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुक्तेश्वर एवं नैनीताल इन आदेशों के समुचित अनुपालन की समय–समय पर समीक्षा भी करेगें।

(चन्द्रशेखर जोशी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रांक :– 1978 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को –

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुक्तेश्वर एवं नैनीताल।
4. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
5. वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक, शिविर अनुभाग, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. प्रभारी नैना पीक रिपिटर सैन्टर, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
8. गार्ड फाइल।

(चन्द्रशेखर जोशी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः- 1979 / 29-3(3) दिनांक 5/9/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि श्री आकाश वशिष्ठ अधिवक्ता/न्याय मित्र मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम- 1976 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रर्वत) में संशोधन करते हुए प्रशमन धनराशि/दण्ड की धनराशि को 25000/- तक किया जाय। इसके अतिरिक्त इस वाद में समय-समय पर पारित आदेशों में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के माध्यम से वृक्ष संरक्षण अधिनियम- 1976 के तहत कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध मे निम्न बिन्दुओं पर विचारणीय है -

1. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम - 1976 में नई धारा जोड़ते हुए अपराधों को गैर जमानतीय घोषित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु अधिनियम में धारा 10 (क) के रूप नई धारा निम्न प्रकार जोड़ा जाना आवश्यक प्रतीत है -

धारा 10 (क) - इस अधिनियम में या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 4 अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान का उल्लंघन करने का अपराध अजमानतीय होगा।

2. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनिमय -1976 की धारा 10 के अन्तर्गत वर्तमान में अधिकतम कारावास 06 माह एवं जुर्माना जो 1000 तक हो सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से धारा 10 में निम्न प्रकार संशोधन आवश्यक है -

धारा 10 - **धारा 4का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति- जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघ्ङन करते हुए किसी खड़े हुए वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है य अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा को किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो 2 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो 10,000/- रूपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।**

3. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम - 1976 की धारा 15 के अन्तर्गत अपराधों को प्रशमन करने की शक्ति प्रदान की गई है। वर्तमान में धारा 15 के अन्तर्गत 5000/- रूपये प्रशमन धनराशि वसूल करने का प्राविधान मौजूद है। वनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अधिनियम की धारा 15 अन्तर्गत निम्न प्रकार संशोधन आवश्यक है -

धारा 15- अपराधों को प्रशमन कराने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें किसी वन में स्थिति वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनिमय के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पच्चीस हजार रूपये प्रति वृक्ष से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

4. अधिनियम की धारा 22 में यह उल्लेखित है कि नियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि व अतिरिक्त होगें को संशोधित किया जाना आवश्यक है।

धारा 22 - इस अधिनिमय के उपबन्धों का अध्यारोही (Overriding) प्रभाव रहेगा। वृक्षों के पातन ए अपनयन के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित व्यवस्था द्वारा ही कार्यवाही की जायेगी। जहाँ इस अधिनिम के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराध सुनियोजित, सुसंगठित गिरोह द्वारा किये जायेगें अथवा अनुवर्ती अपराध कर

हुए सम्पत्तियाँ अर्जित की जायेंगी। वहाँ राज्य सरकार या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 यथासंशोधित के तहत कार्यवाही हेतु अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनिमय 1976 में यथोचित संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। अधिनिमय संशोधन का आलेख संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर जोशी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।

पत्रांक :– 1979 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक संज्ञान हेतु प्रेषित –

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

संलग्नक :– यथोपरि।

(चन्द्रशेखर जोशी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 1980 / 29–3(3) दिनांक 5/9 /2024

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 03.05.2023 के अनुपालन में इस वन प्रभाग द्वारा नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल अन्तर्गत त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) का गठन किया गया था। इस हेतु त्वरित प्रतिक्रिया दल के कार्यो को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु निम्न प्रकार एस0ओ0पी0 निर्गत की जाती है –

1. यह त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) का गठन नैनीताल नगर अन्तर्गत वृक्षों के अवैध पातन सहित अन्य वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु किया गया है। इस कारण त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) को प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया जाना आवश्यक है।
2. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के सदस्यों के स्थान यदि सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, आदि के कारण रिक्त होगें तो वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) का पुर्नगठन करते हुए सुयोग्य कार्मिकों को दल में सम्मिलित किया जायेगा।
3. दूरभाष पर प्राप्त शिकायतों के अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री पोर्टल (सी0एम0 हैल्पलाईन नम्बर 1905), दैनिक समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल के माध्यम से भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका भी तत्काल संज्ञान त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के सदस्यों द्वारा लेते हुए विधिवत कार्यवाही की जायेगी।
4. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) द्वारा प्रतिमाह की गई कार्यवाही की मासिक सूचना वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के द्वारा किसी शिकायत की जाँच अथवा विधिक कार्यवाही के दौरान यदि कोई प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही अभियुक्तगण द्वारा की जाती है तो इस सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी स्तर से सम्बन्धित थाना प्रभारी एवं उप जिलाधिकारी को भी सूचित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।
6. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के प्रभारी द्वारा प्रत्येक शिकायत के सापेक्ष की गई कार्यवाही का विवरण लिखित रूप में वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका वन क्षेत्र नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके क्रम में वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) की कार्यवाही पंजिका में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति को अद्यावधिक किया जायेगा।
7. वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल यह भी सुनिश्चित करेगें कि त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना शिकायतकर्ता को लिखित/दूरभाष जैसी भी स्थिति हो उपलब्ध कराई जायेगी।
8. उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रत्येक माह में एक नियत तिथि निर्धारित कर त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के कार्यो की समीक्षा की जायेगी एवं त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) की समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित किये जायेगें।
9. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) हेतु आवश्यक उपकरणों, सामग्री एवं व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई समस्या होने पर वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका/उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल आवश्यक सूचना अविलम्ब प्रस्तुत करेगें तांकि राजकीय कार्यो के सम्पादन में कोई शिथिलता न रहें।
10. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के किसी सदस्य के अवकाश में रहने की स्थिति में वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्मिकों का प्रबन्धन किया जायेगा।
11. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) द्वारा किये गये विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यो को नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के Whatsapp गुप एवं मिडिया/समाचार पत्रों में भी प्रकाशन हेतु वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

12. वन क्षेत्राधिकारी, नगरपलिका यह भी सुनिश्चित करेगें कि समय–समय पर संशोधित विधियों/कानूनों की व्यवहारिक जानकारी त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के सदस्यों को रहे। इस हेतु समय–समय पर विशेषज्ञों के माध्यम से प्राणी उद्यान परिसर नैनीताल में प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगें।

13. त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विधिवत अपराध एच–2 केस जारी करना, अपराध की विवेचना कराना एवं अपराध में मा0 न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने का दायित्व वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका का रहेगा। उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल इस प्रकरणों की मासिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करते हुए समीक्षा रिपोर्ट प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित करेगें।

(चन्द्रशेखर जोशी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रांक :– 1980 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को –

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल।
4. वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त एस0ओ0पी0 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. वरिष्ठ व्यवितक सहायक, शिविर अनुभाग, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।

(चन्द्रशेखर जोशी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 1987 /7–1 दिनांक 5/ 9 /2024

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
नगरपालिका वन क्षेत्र।

विषय :– वृक्षारोपण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा की आप अवगत हैं कि अरोमा होटल मल्लीताल, नैनीताल के निकट अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2022 में 8 वृक्षों का अवैध पातन किया गया था। उक्त भूमि नजूल क्षेत्र है एवं नगरपालिका परिषद नैनीताल के नियंत्रणाधीन है। इस सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य लम्बित है। इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि हरेला वन/ अन्य योजना अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र जहां वृक्षों का पातन हुआ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करें एवं रोपे गये वृक्षों की सुरक्षा के लिए तारबाड़ तथा ट्री गार्ड आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 1987 / **उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

E-mail: dfonainital@gmail.com courtcellforestntl@gmail.com Telefax.05942-236790, 231792

पत्रांक:- 1795 /29-3(3) नैनीताल, दिनाँक- 27/08/2024

-:कार्यालय आदेश:-

नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल से सम्बन्धित विभिन्न दीवानी/फौजदारी/विविध वादों की प्रभावी पैरवी के उद्देश्य से कु0 निशा नेगी, वन आरक्षी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को माननीय जनपद एवं सत्र न्यायालय, नैनीताल में विभाग की ओर से पैराकार नियुक्त किया जाता है।

कु0 निशा नेगी, वन आरक्षी, इस वन प्रभाग से सम्बन्धित वादों में प्रभावी पैरवी हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी/राजस्व, नैनीताल, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, नैनीताल, अभियोजन अधिकारी, नैनीताल, सहायक अभियोजन अधिकारी, नैनीताल से निरन्तर सम्पर्क स्थापित करेंगी एवं विभागीय वादों में अपेक्षित कार्यवाही हेतु सूचनाऐं प्रभारी कोर्ट सेल, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को प्रस्तुत करेंगी।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक- 1795 / /तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्न को -

1. उप-प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल एवं मुक्तेश्वर, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
3. प्रभारी, कोर्ट सेल अनुभाग, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
4. कु0 निशा नेगी, वन आरक्षी, कोर्ट सेल अनुभाग, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
5. गार्ड बुक/अधिष्ठान।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक- 1795 / /तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी/राजस्व, नैनीताल।
2. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, नैनीताल।
3. अभियोजन अधिकारी, नैनीताल।
4. सहायक अभियोजन अधिकारी, नैनीताल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड

फोन- 0135-2746934, 2741461, फैक्स 2741630, 2741462 ई-मेल pccfuk@gmail.com

पत्रांक–ए-846/29-1(7) देहरादून, दिनांक– 08/02/2024

–:आदेश:–

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–518/2022, विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 द्वारा वन विभाग के अन्तर्गत अपराधों को प्रशमित करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस कम में वन अपराधों के प्रशमन के सम्बन्ध में निम्न प्रकार व्यवस्थायें निर्धारित हैं जिनका कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

क – सामान्य दिशा–निर्देश।

1. वन अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रशमन एवं न्यायिक वाद दायर करने की व्यवस्थायें विद्यमान हैं। वनाधिकारियों को अपने स्वविवेक का पालन करते हुए इन अपराधो से इस प्रकार निपटा जाना चाहिए कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो एवं वन अपराधी पूर्णतः हतोत्साहित हो एवं उनके अन्दर विधि का भय व्याप्त हो।

2. वन अपराधों का प्रशमन का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक एवं लघु प्रवृत्ति के प्रकरणों का विभागीय स्तर पर निस्तारण है, लेकिन कोई ऐसा अपराध जिसमें सुसंगठित एवं सुनियोजित रीति से वनों एवं वन्य जीवों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, को प्रशमित किया जाना उचित नहीं होगा। प्रशमन की व्यवस्था का लाभ अनुवर्ती अपराधकर्ता को नहीं दिया जाना चाहिए।

3. प्रत्येक प्रकरण में केस प्रशमित करने से पूर्व अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। वन विभाग में वन अपराध में संलिप्त अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास रखा जाये एवं पुलिस प्रशासन तथा अन्य एजेंसियों से भी समन्वय स्थापित कर ऐसे अपराधिक इतिहास तैयार किया जाये। ये इतिहास वृत्त स्तर पर भी संरक्षित किये जाये ताकि अभियुक्तगण के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

ख – भारतीय वन अधिनियम–1927 या भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम–2001 से सम्बन्धित अपराधों के प्रशमन हेतु दिशा–निर्देश।

1. भारतीय वन अधिनियम–1927 अथवा भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम–2001 के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले अपराध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–68 **(संलग्नक–01)** के तहत प्रभागीय वनाधिकारियों के स्तर से पूर्ववत प्रशमित किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट मैन्यूअल (आठवें संस्करण) के खण्ड–I, अध्याय–21 की धारा–273(1)(ए0) **(संलग्नक–02)** के तहत वन संरक्षक भी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों को धारा–68 के तहत प्रशमित करने हेतु सक्षम अधिकारी हैं।

2. उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट मैन्यूअल (आठवें संस्करण) के खण्ड–I, अध्याय–21 की धारा–273(1)(ए0)(डी0) **(संलग्नक–02)** की व्यवस्था के अनुसार कुमाऊँ वृत्त अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक पूर्ववत धारा–68 के तहत वन अपराधों का प्रशमन करते रहेंगे।

3. भारतीय वन अधिनियम–1927 अथवा भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम–2001 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध की जांच उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट मैन्यूअल (आठवें संस्करण) के खण्ड–I, अध्याय–21 की धारा–273(1)(सी0)(डी0) के अनुसार तीन माह में पूर्ण कर ली जायेगी। यदि निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण नहीं होती है, तो वन क्षेत्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जायेगी।

4. उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट मैन्यूअल (आठवें संस्करण) के खण्ड–I, अध्याय–21 की धारा–273(1)(सी0)(ए0) **(संलग्नक–02)** के अनुसार कोई भी वन अपराध घटित होने की तिथि से एक माह से पूर्व प्रशमित नहीं किया जायेगा। प्रशमन की कार्यवाही उसी अवस्था में एक माह से पूर्व की जा सकती है, जब प्रभागीय वनाधिकारी अथवा अपराध को प्रशमित करने की शक्ति रखने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं जांच की गयी हो।

5. जिन प्रभागों में सहायक वन संरक्षक के स्तर से वन अपराधों के प्रशमन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट मैन्यूअल (आठवें संस्करण) के खण्ड–I, अध्याय–21 की धारा–273(1)(ए0)(डी0) **(संलग्नक–02)** में वर्णित हों, वहां प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्येक माह ऐसे केसों के प्रशमन की समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्पूर्ण कार्यवाही विधि संगत रीति से पूर्ण की गयी है।

6. जिन प्रकरणों में अभियुक्तगण द्वारा अनुवर्ती अपराध किये गये हैं, अथवा सुनियोजित एवं सुसंगठित रूप से अपराध किया जाना संज्ञान में आता है, ऐसे प्रकरणों में भारतीय वन अधिनियम–1927 अथवा भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम–2001 के अन्तर्गत अपराध प्रशमित करने के स्थान पर प्रकरण को सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र वाले न्यायालय में वाद दायर करने हेतु प्रेषित किया जाना चाहिये।

7. ऐसे प्रकरण जहां अभियुक्तगण द्वारा वन कर्मियों से मारपीट, अभद्रता, कार्य में बाधा डालना, धमकी/उत्प्रेरणा आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां अपराध को भारतीय वन अधिनियम–1927 के धारा–68 के तहत प्रशमित नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे प्रकरणों को भी सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र में वाद दायर करने हेतु प्रेषित किया जाना चाहिये।

8. उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट मैन्यूअल (आठवें संस्करण) के खण्ड–I, अध्याय–21 की धारा–273(1)(बी0)(ए0), **(संलग्नक–02)** की व्यवस्थानुसार भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–68 के तहत वन सम्पदा के मूल्य का दस गुना केवल उसी परिस्थिति में लिया जा सकेगा जब इस हेतु वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

ग –उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 के तहत पंजीकृत अपराधों के प्रशमन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

1. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4 अथवा अन्य किसी धारा का उल्लंघन करने पर अपराधों का प्रशमन अधिनियम की धारा–15 के तहत पुनरीक्षण अधिकारी/वन संरक्षक के स्तर से किये

जाने का प्राविधान है। उक्त हेतु सम्बन्धित अधिकारी अपने स्वविवेक का पालन इस प्रकार करें कि भविष्य में वन अपराधों की घटनाओं पर अंकुश लगे।

2. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 के तहत अनुवर्ती अपराध होने की स्थिति में या अधिनियम के उद्देश्यों के विपरित अत्यधिक मात्रा में अवैध पातन पाये जाने पर ऐसे केसों को प्रशमित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे केस तत्काल जांचोपरान्त वाद दायर करने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने उचित होंगे।

3. नैनीताल नगर अन्तर्गत नाप भूमि में वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 के साथ–साथ नगर पालिका उप–विधि–1916 यथा–संशोधित के तहत निर्धारित दण्ड भी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–22 के तहत इस अधिनियम के उप–बन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे।

4. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–15 की उपधारा–2 के अन्तर्गत अपराध प्रशमित होने की अवस्था में अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत अभिग्रहित सम्पत्ति को अवमुक्त किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय में वाद दायर करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–12 एवं 14(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जायेगी।

5. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–15 के तहत अपराधों को प्रशमित करने की व्यवस्था का उपयोग अनुवर्ती अपराध की स्थिति में किया जाना उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत बार–बार अपराधों में संलिप्त पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाना उचित होगा।

घ – उत्तर प्रदेश लीसा एवं अन्य वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम–1976 के तहत अपराधों के प्रशमन हेतु दिशा–निर्देश।

1. उत्तर प्रदेश लीसा एवं अन्य वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम–1976 अथवा उत्तर प्रदेश लीसा एवं अन्य वन उपज (व्यापार का विनियमन) नियमावली–1976 के अन्तर्गत घटित होने वाले अपराध अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत उल्लेखित व्यवस्था के आधार पर प्रशमित किये जा सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा–14 की व्यवस्थाऐं भारतीय वन अधिनियम–1927 अथवा भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम–2001 की धारा–68 से भी आच्छादित होती है।

2. लीसा या लीसा उत्पादों का अवैध अभिवहन सम्बन्धित ऐसे अपराध जहां अपराध सु–संगठित एवं सुनियोजित गिरोह द्वारा किया जाता है, या वाहन के मॉडल में केबिन बनाकर परिवर्तन किया जाता है, या कूट–रचित अभिलेखों की सहायता से अभिवहन किया जाता है, तो ऐसे अपराध प्रशमित नहीं किये जाने चाहिये।

3. जहां लीसा एवं लीसा उत्पादों का अवैध अभिवहन का अनुवर्ती अपराध घटित होता है, वहां ऐसे अपराध को प्रशमित नहीं किया जाना चाहिये और अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार न्यायालय में वाद दायर किया जाना उचित होगा।

ड. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराधों के प्रशमन हेतु दिशा निर्देश।

1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 54 के तहत अपराध प्रशमन करने की शक्ति केवल प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक या उससे उच्चतर अधिकारी में निहित है। इस सम्बन्ध में अधिनियम के प्राविधानों को कठोरता से लागू कराने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सक्षम अधिकारी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत घटित अपराधों के प्रशमनीय होने की स्थिति में विशेष निर्देश मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के स्तर से ही निर्गत किया जाने उचित होगा।

उपरोक्तानुसार, उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक- ए-846 / 29-3(3) /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 समस्त अपर वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3 समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4 समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5 समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 गार्ड फाईल।

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

85 Rajpur Road, Dehradun, Pin – 248001
E-mail :cclenvuk@gmail.com Phone/Fa+911352741081

पत्रांक-ख-847/ 26-1 देहरादून, दिनांक, 08 फरवरी, 2024

आदेश

उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत वन एवं वन्यजीवों के समुचित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनमानस द्वारा सुझावों, शिकायतों एवं समस्याओं सम्बन्धी सूचनाओं की प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार Toll Free Number वर्तमान में कार्य कर रहे हैं :-

1. वन्यजीव के सम्बन्ध में नं0 1800 890 9715
2. वनाग्नि के रोकथाम के सम्बन्ध में नं0 1800 180 4141

उक्त दोनों ही व्यवस्थायें उत्तराखण्ड वन विभाग में सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 28.11.2023 को पारित निर्देशों के समादर में निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनों Toll Free Number भविष्य में अवैध कटान से सम्बन्धित शिकायतों (Greivances) की भी सूचनाऐं प्राप्त करेंगे। अवैध कटान से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने की स्थिति में यह सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-ख-924/26-1 दिनांक 28.01.2021 (प्रतिसंलग्न) द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), की अध्यक्षता में गठित वन सुरक्षा अनुश्रवण समिति (अपर प्रमुख वन संरक्षक प्रशासन, मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना, मुख्य वन संरक्षक कुमाँऊ मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल) को तत्काल प्रेषित की जायेगी। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता/सूचना प्रदान कर्ता को उसकी Greivance का निराकरण करते हुए अवगत करायेगी। समिति तत्काल प्रभाव से अवैध कटान संबंधी मामलों में "State level Greivance Cell" के रूप में भी कार्य करेगी।

उक्त आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक(HOFF),
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक ख-847/ 26-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड वन विभाग।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड विभाग।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड विभाग।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड विभाग।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड विभाग।

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक(HOFF),
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक ख-847/ 26-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सैल, वन मुख्यालय देरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का विभागीय वैबसाइड के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक(HOFF),
उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail id: ccfadmin-forest-uk@nic.in Ph. No. 0135 2741661, 2746934, Fax 2741630, 2741467

पत्रांक / देहरादून दिनांक 27 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग के अन्तर्गत "वन सुरक्षा अनुश्रवण समिति" का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड।	-	अध्यक्ष
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना उत्तराखण्ड।	–	सदस्य
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।	–	सदस्य
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।	–	सदस्य

उपरोक्त "वन सुरक्षा अनुश्रवण समिति" प्रत्येक माह के समस्त घटित वन अपराध रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायो व वन एवं वन्यजीव सुरक्षा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना सम्मिलित कर उनके विश्लेषण उपरान्त आख्या / सुझाव अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी। उक्त समिति मुख्यतः अपनी आख्या में निम्न विषयों का समावेश करेगी:–

- पंजीकृत वन अपराधो की प्रगति समीक्षा।
- वन अपराधो के रोकथान हेतु अपनाये जा रहें उपायों की सार्थकता की समीक्षा।
- पुलिस / इन्टेलिजेंस / अर्धसैन्य बल से समन्वय की समीक्षा व सुझाव।

भवदीय

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या ख-924 / 26-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अ0प्र0व0सं0, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौंड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

S.O. अ0प्र0व0सं0, प्रशा0 28.1.2021

(राजीव भरतरी) 27/1/21
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।